न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व वाद संख्या :82 / 2024
निर्णय दिनांक : 10.06.2025
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 175

शांति पुत्री मोहनराम पत्नी मनसाराम जाति नायक निवासी धातरी तहसील सुजानगढ़ हाल निवासीनी धनेरू तहसील डुंगरगढ़ जिला बीकानेर

................वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.................प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू

उपस्थित :–
1. श्री रमेश कुमार बिस्सु एडवोकेट वादीनी।
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 41 के खसरा संख्या 308 तादादी 2.3772 हैक्टेयर, खसरा संख्या 324 तांदादी 3.2118 हैक्टेयर, खसरा संख्या 397 तादादी 2.7060 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादीनी का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से मुंह बोला नाम सन्तोष पुत्र मोहन वादगत खेत में खातेदारी में अंकित कर दिया जबकि वादीनी का सही व वास्तविक नाम शांति पुत्री मोहनराम दर्ज है जो कि वादीनी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है।

राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादीनी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीनी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत खाता संख्या 41 के खसरा संख्या 308 तादादी 2.3772 हैक्टेयर, खसरा संख्या

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

324 तादादी 3.2118 हैक्टेयर, खसरा संख्या 397 तादादी 2.7060 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वादीनी का नाम सन्तोष पुत्री मोहन दर्ज है जबकि वादीनी के दस्तावेजों में नाम शांति पुत्री मोहनराम दर्ज है। सन्तोष एवं शांति दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे शांति पुत्री मोहनराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, जनाधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग के पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बैंक पास बुक की छायाप्रति, जॉब कार्ड की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति आदि दस्तावेजात में भी वादीनी का नाम शांति पुत्री मोहनराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादीनी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादीनी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 41 के खसरा संख्या 308 तादादी 2.3772 हैक्टेयर, खसरा संख्या 324 तादादी 3.2118 हैक्टेयर, खसरा संख्या 397 तादादी 2.7060 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादीनी सन्तोष पुत्री मोहन के स्थान पर शांति पुत्री मोहनराम खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को टंकित करवाया जाकर अज अदालत में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

शांति बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 82 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रुहाजरी श्री रमेश कुमार बिरसु एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादीनी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 41 के खसरा संख्या 308 तादादी 2.3772 हैक्टेयर, खसरा संख्या 324 तादादी 3. 2118 हैक्टेयर, खसरा संख्या 397 तादादी 2.7060 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादीनी सन्तोष पुत्री मोहन के स्थान पर शांति पुत्री मोहनराम खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेपित हो।

.... बाबत ....

चीज.......................................मुबलिग ....

.... फीसदी सालाना

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....

आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6 माह 06. 2025

दस्तखत ....

ओहदा उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजहे सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये